FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... गोदीलाल

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–10 सन्–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–10 / 2022**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.09.2022	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम उकरूंद में राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ता खसरा न0 234 रकबा 0.0025 है0 पर गैरसायल गोदीलाल पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी उकरूंद द्वारा फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित नहीं हुआ। पुनः रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया परन्तु गैर सायल ना तो न्यायालय में उपस्थिति हुआ और ना ही उसके द्वारा लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 0.11 रूपये का 50 गुणा 6 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखल वसूली एवं फसल जप्ती नीलामी हेतु आई0एल0आर0 / पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)	

रा0 ल0 स0 4 वर्ष 2022-23 की
पृ0 सं0 51 पर 6 रू:
मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार